कितनी हैं, वे मार्ग कौन-कौन से हैं तथा किन-किन व्यक्तियों को परमिट दिए गए; और

(ग) ये परमिट किस आधार पर जारी किये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मेरठ ने पिछले पांच वर्षों में विवरण में दिखाये गये व्यक्तियों को 46 मार्गों पर 161 नये परमिट जारी किये गये [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या L T-2824/68] विवरण में अपितु उन 83 व्यक्तियों के नाम नहीं हैं जिन्हें राज्य परिवहन अपेलेट ट्राइब्यूनल, उत्तर प्रदेश द्वारा अपील पर आज्ञा होने के फलस्वरूप परमिट किये गये थे।

(ग) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त निवेदकों की बात सुनी जो बैठकों के दिनों उपस्थित थे और उनके दावों की भी जांच की जो उपस्थित न हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 47 की व्यवस्था और समस्त निवेदकों की योग्यता तथा तुलनात्मक गुणों पर विचार करने के बाद उनको, जिनकी अच्छी योग्यता थी, परमिट दिये।

Rioting in Darbhanga

5309. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 6th November, 1968, four persons belonging to a minority community including a lady were assaulted and paraded and a hotel looted in Jai Nagar, Darbhanga District in Bihar;

(b) whether this was done to set aflame communal frenzy and was prevented due to the courageous intervention by a College student and the Police Havildar and one constable who were also assaulted by the rioters;

(c) whether no rioter was arrested on the 6th November, 1968 but only four injured persons and their protector student were arrested; and

(d) if so, whether any and if so, what action has been taken against the Officers responsible for this ommission and commission ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (b). According to information received from the State Government one lady was alleged to have been assaulted by a group of persons on 6th November, 1968 allegedly while she was carrying a bundle containing beef. It is further stated that on her disclosing that the beef was to be supplied to a hotel, the proprietor of the hotel and his two servants were also assaulted. Slight damage was also caused to the hotel. On receving information the local Block Develpment Officer and police officials rushed to the place and controlled the situation. A college student helped the authorities in handling the situation. The police registered a case u/s 295A of the Indian Penal Code and sections 3 and 4 of the Bihar Preservation and Improvement of Cattle Act against the lady, the proprietor of the hotel and his two servants. They were arrested on 6. 11. 1968. A case u/s 147/379/323 IPC was registered against 13 persons who had assaulted them. Since those persons remained absconding on 6th November, they were arrested on the 7th November, 1968. The student was not arrested.

(b) The State Government have not found any fault on the part of any of the officers.

पादरी फेरर का भारत लौटना

5310. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० बरुआ :
श्री बेंगलराया नायडू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पादरी फेरर जिनको कुछ समय पहिले भारत से बाहर चले

जाने को कहा गया था पुनः सरकार की अनुमति से भारत आ गया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने उनको कहा है कि वह उन कार्यों में न पड़ें जिनके कारण उन्हें पहिले देश छोड़ने को कहा गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या जब तक वह भारत में रहते हैं तब तक के लिए उन पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) पादरी फेरर को भारत से निष्कासित नहीं किया गया था। उन्हें आन्ध्र प्रदेश में कार्य करने के लिए एक वीसा दिया गया है ।

(ख) से (घ). किसी विदेशी से निपटने के लिए, जो अवांछनीय गतिविधियां करता पाया जाता है, विदेशियों के लिए अधिनियम, 1946, तथा उसके अधीन बनाये गये आदेशों के अन्तर्गत, पर्याप्त अधिकार हैं ।

फरक्का बांध के निकट विदेशी हथियार लिये लोगों की गिरफ्तारी

5311. श्री शारदा नन्द : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1968 में फरक्का बांध के निकट बेनिया गांव के सिनेमा हाल के आस पास के इलाके में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उनके पास से भारी मात्रा में विदेशी शस्त्रास्त्र, गोलाबारूद, हथगोले और अन्य आग्नेयास्त्र बरामद हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उसके पास से बरामद किये गये सामान का ब्यौरा क्या है और वह सामान किन किन देशों का हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग). बेनिया गांव के सिनेमाघर के आस-पास आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उनके पास से नम्नलिखित सामग्री पकड़ी गई :—

(1) 12 बोर डी० बी० बी० एल० देशी बंदूकों के अतिरिक्त पुर्जे ।

(2) अमेरिका, रोमानिया, ग्रेट-ब्रिटेन तथा भारत में बने 42 कारतूस ।

(3) मकान में सेंध लगाने के उपकरण ।

भारतीय दण्ड सहिता की धारा 399/402 और शास्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है तथा जांच की जा रही है ।

Foreign Printed Obscene Books

5312. SHRI B. N. SHASTRI : Will the Minister of HOME AEFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that foreign-printed obscene books are sold on a wide scale in big cities;

(b) if so, whether Government are also aware of the demoralising effect of such books on the teen-agers;

(c) whether it is a fact that obscene book like 'Bed Room Philosopher' is sold in the Wheeler's book stalls on the Railway platforms; and

(d) if so, whether Government proposed to stop such sales ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government have no such imformation.

(b) Does not arise.